झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांकः— रा0खा0आ0 (विविध) 04 / 2022— 391

प्रेषक,

हिमांशु शेखर चौधरी
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः— 19.4.2022

विषयः— **राज्य के जन—वितरण प्रणाली केन्द्रों में संबद्ध लाभुकों के राशन कार्ड की जाँच कराए जाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पलामू जिले के मनातू प्रखंड अंतर्गत डुमरी ग्राम के एक परिवार के व्यक्तियों द्वारा एक ही नाम से PH एवं AAY राशन कार्ड रखे जाने से संबंधित शिकायत आयोग को प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायत वाद के आलोक में आयोग द्वारा उक्त मामले की सुनवाई करने का निर्णय लेते हुए वाद सं0—05 / 2022 प्रारंभ की गयी। उक्त मामले में लगाये गये आरोपों को प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मनातु द्वारा जाँच के क्रम में सही पाया गया। जिसके कारण आयोग द्वारा दिनांक—17.02.2022 को सुनवाई के दौरान आरोपित व्यक्ति से अवैध रूप से उठाव किये गये अनाज का निर्धारित दर से वसूली किये जाने का आदेश BSO, मनातु को दिया गया साथ ही यह भी आदेशित किया गया कि प्रखण्ड के सभी PDS दुकानदारों की जाँच कर ली जाय एवं अयोग्य तथा Duplicate राशन कार्ड रखने वाले व्यक्तियों के संबंध में जाँच प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया जाय।

उल्लेखनीय है कि दिनांकः—06.04.2022 को पुनः उक्त वाद में सुनवाई के दौरान BSO मनातू द्वारा 17 PDS दुकानों का जाँच संबंधी प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें 177 कार्डधारी के अयोग्य पाने जाने का उल्लेख है। उक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है जाँच में कुल 16 व्यक्ति सम्पन्न, 23 कार्डधारी मृत, 96 कार्ड Doubling 07 बाहर रहने वाले व्यक्तियों के नाम से राशन कार्ड पाया गया है।

संभव है कि इसी प्रकार राज्य के अन्य जिलों एवं प्रखंडों में भी इस प्रकार के मामले हो। विस्तृत जाँच किये जाने से इनके बारे में पता चल सकता है, एवं ऐसे अवैध राशन कार्डधारी का नाम राशन कार्ड से हटाये जाने / राशन कार्ड रद्द किये जाने से वास्तविक लाभुकों / योग्य व्यक्तियों को लाभ दिया जा सकता है।

अतः आयोग का सुझाव है कि राज्य के विभिन्न जिलों के सभी प्रखण्डों में प्रत्येक प्रखण्ड में कम से कम 05 जनवितरण प्रणाली केन्द्रों से संबंधित लाभुकों की जाँच हर माह कराया जाय, ताकि अयोग्य / मृतकों व्यक्तियों के नाम से निर्गत राशन कार्ड की पहचान हो सके एवं इनके रद्द करने की कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

18/04/2022

हिमांशु शेखर चौधरी
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

D:\Jaya\Ravish Sir\Letter.docx11